न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम आर.ए.एस.

मुकदमा सं. 19/2019

दायरा दिनांक :– 14.10.2019

सायल

1. सुमन कंवर धर्म पत्नी स्वर्गीय जोधसिंह
2. अजीतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह जाति राव निवासीगण नारलाई तह. देसूरी जिला पाली

बनाम

गैर सायल

1. तखतसिंह तथाकथित पुत्र जोधसिंह
2. दलपतसिंह तथाकथित पुत्र जोधसिंह
3. योगिता कुंवर तथाकथित पत्नी जोधसिंह
4. रसाल कंवर तथाकथित पत्नी जोधसिंह
5. सुरजीतसिंह तथाकथित पुत्र जोधसिंह
6. हुकमकंवर तथाकथित पुत्री जोधसिंह तमाम जाति राव निवासीगण नारलाई तह. देसूरी जिला पाली
7. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपूरोहित उपस्थित
(2) राजकीय पेरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 21/01/21

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 17.09.2019 जो नारलाई ग्राम के म्यूटेशन संख्या 2576 को स्वीकृत करने संबंधी पारित किया है। उस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस अदालत में पेश हुई, जो बाद जांच अपील दर्ज की गई रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किया, बाद तामिल नोटिस रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एक तरफा आदेश दिया तथा सम्बन्धित म्यूटेशन संख्या 2576 तहसीलदार देसूरी से तलब किया गया। अपीलाण्ट को सुना गया। ग्राम नारलाई तहसील देसुरी के खसरा नम्बर 1923/2725 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन की खातेदारी जोधसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति राव की खातेदारी में कब्जासुदा है। जिसके एकमात्र विधिक वारिशान अपीलाण्ट है। लेकिन हल्का पटवारी ने रेस्पोडेण्ट का भी नाम जोधसिंह के वारिश मानकर

अति. जिला ... (सीलिंग)
पाली (राज.)

दर्ज कर दिया, जो कानूनी रूप से गलत है। क्योकि सुमन कंवर जोंधसिंह की पत्नी जीवित है और उसके जीवित रहते हुए रसाल कंवर कानूनी रूप से विवाहित नही हो सकती थी। जैसा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधान है। लेकिन फिर भी रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज किया है जो कानूनी रूप से गलत है। ऐसा म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है और वैसे ऐसा म्यूटेशन का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को है और ग्राम पंचायत ऐसा म्यूटेशन 45 दिन में नही करे तो तहसीलदार इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु अधिकृत था। फिर भी किया है जो क्षैत्राधिकार विहिन आदेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसील देसुरी के आदेश दिनांक 17.09.2019 को ग्राम नारलाई के म्यूटेशन संख्या 2576 को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित किया है उसे निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारान को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को समुचित नोटिस तामिल कराते हुए जवाब साक्ष्य सबूत लेकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 9/10/21 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(राधेश्याम)
अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)
आर.ए.एस